बिहार सरकार

वित्त विभाग

बजट 2024—25 का संक्षिप्त परिचय

वर्ष—2024

I. बिहार बजट 2024–25 की आर्थिक रूप–रेखा

आर्थिक वृद्धि दर के मामले में बिहार वर्ष 2022–23 के दौरान पूरे देश में अग्रणी रहा, जहाँ बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.64 प्रतिशत दर्ज हुई वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह 7.24 प्रतिशत रही। राज्य का आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत के आर्थिक वृद्धि दर से 3.4 प्रतिशत अंक अधिक है। स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011–12) पर बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2012–13 के 2.7 लाख करोड़ रुपये से 1.7 गुनी बढ़कर वर्ष 2022–23 में 4.4 लाख करोड़ रुपये हो गया है। वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आकार में 2.7 गुनी वृद्धि हुई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2012–13 के 2.8 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2022–23 में 7.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है। अर्थव्यवस्था में यह उछाल राज्य सरकार की कुशल नीतियों एवं बेहतर वित्तीय प्रबंधन से संभव हो सका है। राज्य सरकार की राजकोषीय नीति के अंतर्गत उच्च आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । वर्ष 2022–23 में वर्तमान मूल्य पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद 7,51,396 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2023–24 में 8,58,928 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2024–25 में 9,76,514 करोड़ रुपये अनुमानित है।

बिहार का आर्थिक परिदृश्य

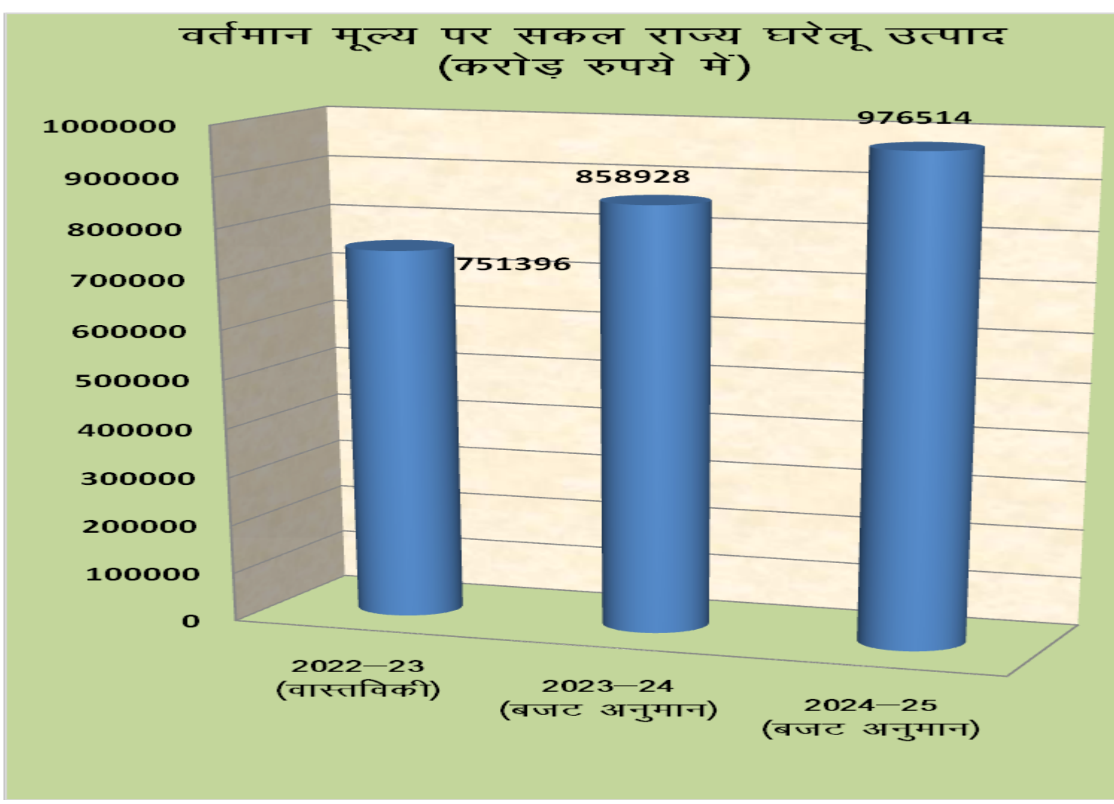

II. बिहार बजट 2024–25 का राजकोषीय अभिविन्यास

बजट की संपूर्ण प्रक्रिया को सुदृढ़, पारदर्शी,एवं सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (Comprehensive Financial Management System) (CFMS-2.0) को लागू करने का निर्णय लिया है। इससे बजट का अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन सरल एवं पारदर्शी होगा। वर्ष 2024–25 के बजट में राजकोषीय नीति के चार प्रमुख उद्देश्य हैः–

1. राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 3.00 प्रतिशत की अधिसीमा में रखना;
2. राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व बचत अर्जित करना;
3. सार्वजनिक व्यय को विकासात्मक मद में प्राथमिकता देना; तथा
4. सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में कुल बकाया ऋण को धीरे–धीरे कम करना।

राजकोषीय घाटाः वर्ष 2022–23 में राज्य का राजकोषीय घाटा कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.97 प्रतिशत रहा था, जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित ऋण अधिसीमा 3.50 प्रतिशत से अधिक है। इस वृद्धि का कारण वर्ष 2022–23 में ब्याज रहित ऋण के रूप में 8,455.85 करोड़ रुपये प्राप्त होना, पूर्व वर्षों के उचन्त लेखा का समेकित निधि में सामंजन होना आदि है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 2.98 प्रतिशत रखा गया है, जो बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिसीमा 3.0 प्रतिशत के अन्दर है। पुनः वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट में भी राजकोषीय घाटा को जी.एस.डी.पी. के 3.0 प्रतिशत के अन्दर रखा गया है।

राजकोषीय घाटा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात

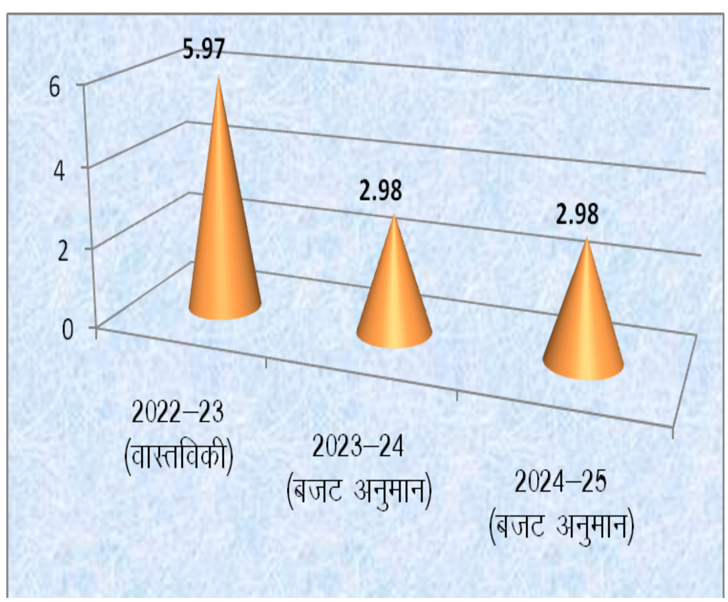

राजस्व अधिशेषः राजकीय वित्तीय संतुलन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2024–25 के बजट में 1,121 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष अर्जित होने का अनुमान है। यह राशि राज्य के सार्वजनिक निवेश को अतिरिक्त बढ़ावा देगा एवं राज्य की आधारभूत संरचना को मजबूत करेगा। वर्ष 2022–23 के 11,288 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा की तुलना में वर्ष 2024–25 के बजट में 1,121 करोड़ रुपये का राजस्व बचत होने का अनुमान है। यह राज्य के राजकोषीय सुधार पथ की ओर अग्रसर होने का प्रमाण है।

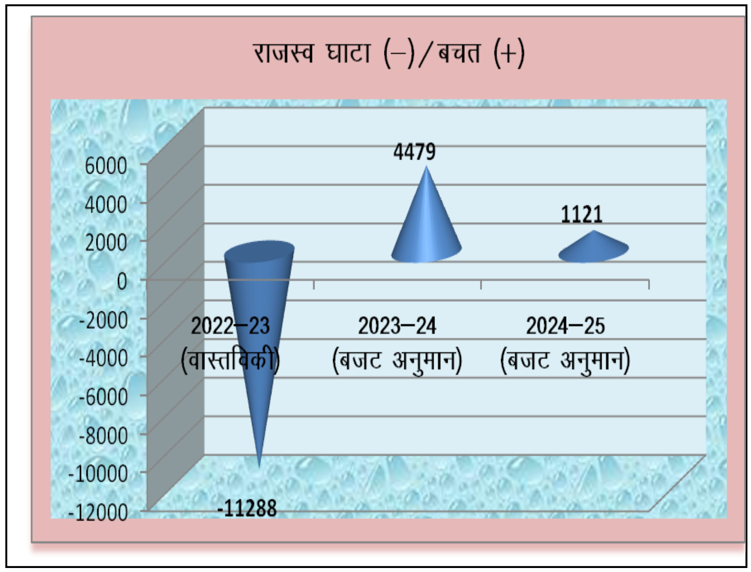

ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्साः वित्तीय प्रबंधन सूचकांक में ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्ति से अनुपात एक महत्वपूर्ण सूचक है। इसलिए वित्त आयोग ने भी इस सूचक को अपनी अनुशंसा में शामिल किया है। ब्याज भुगतान को राजस्व प्राप्ति के 10 प्रतिशत की सीमा में रखना एक बेहतर वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है। बिहार का ब्याज भुगतान वर्ष 2022–23 में राजस्व प्राप्ति का 8.79 प्रतिशत था। यह अनुपात वर्ष 2023–24 के लिए 8.64 प्रतिशत आकलित है तथा बजट 2024–25 के लिए 9.05 प्रतिशत अनुमानित है।

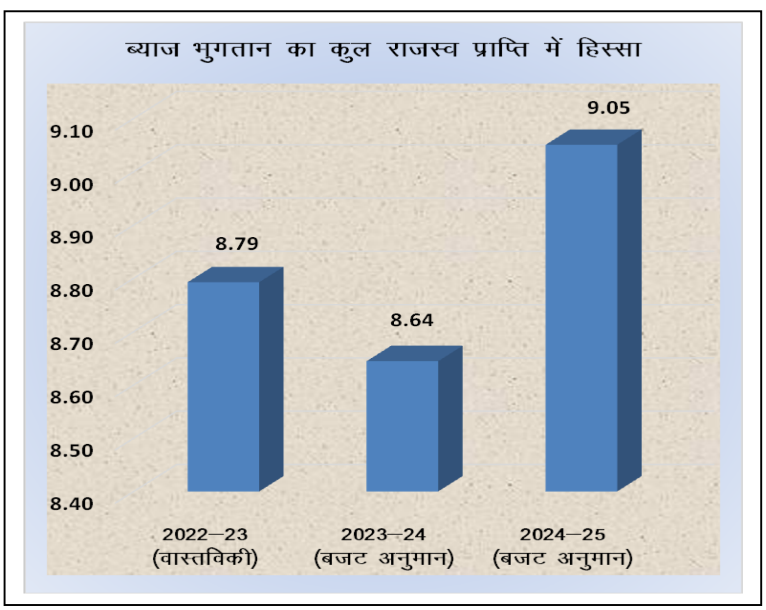

III. प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना

राज्य सरकार के बुद्धिमत्ता–पूर्ण राजस्व संग्रहण एवं सार्थक प्रयास के फलस्वरूप वर्ष 2022–23 में 2,21,013 करोड़ रुपये की कुल प्राप्ति हुई है। पुनः वर्ष 2023–24 में 2,62,085 करोड़ रुपये की प्राप्ति एवं वर्ष 2024–25 में राज्य को कुल प्राप्ति में 16,840 करोड़ की वृद्धि के फलस्वरूप कुल प्राप्ति 2,78,926 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

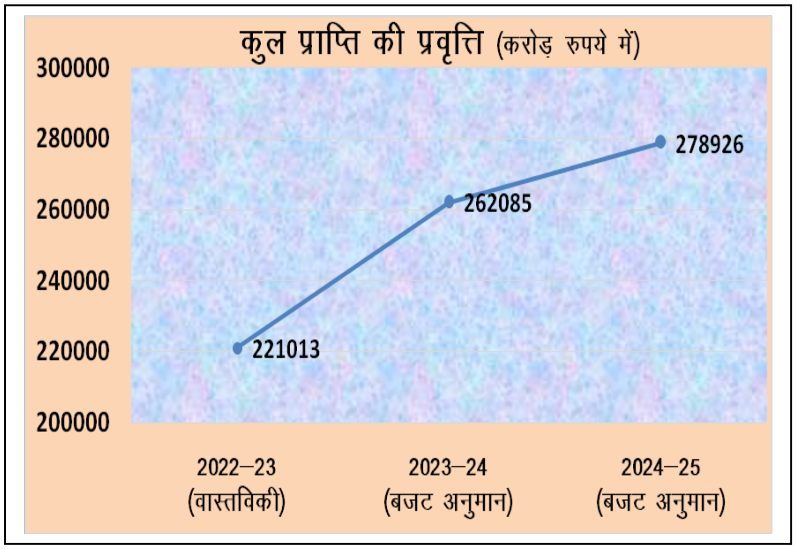

राजस्व संग्रह की संरचनाः वित्तीय वर्ष 2024–25 की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति का हिस्सा 81.31 प्रतिशत अनुमानित है। कुल राजस्व प्राप्तियों में कर के मद में प्राप्तियों का हिस्सा 1,67,312 करोड़ रुपये है, जो कुल राजस्व प्राप्तियों का 73.77 प्रतिशत है। कर मद में राज्य के अपने कर श्रोतों से राजस्व प्राप्तियों का आकलन 54,300 करोड़ रुपये का है, जो कुल राजस्व प्राप्तियों का 23.94 प्रतिशत है, और शेष 1,13,012 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्सा के रूप में अर्जित होने का अनुमान है। पुनः गैर–कर मद में राज्य का अपना गैर–कर राजस्व 7,326 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय अनुदान के रूप में 52,161 करोड़ रुपये अनुमानित है। समग्र रूप से देखा जाय तो कुल प्राप्ति में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियाँ 22.09 प्रतिशत अनुमानित है तथा केन्द्रीय करों में हिस्सा एवं केन्द्रीय अनुदान के रूप में 59.22 प्रतिशत अनुमानित है। शेष 18.69 प्रतिशत प्राप्तियाँ पूंजीगत मद में आकलित है।

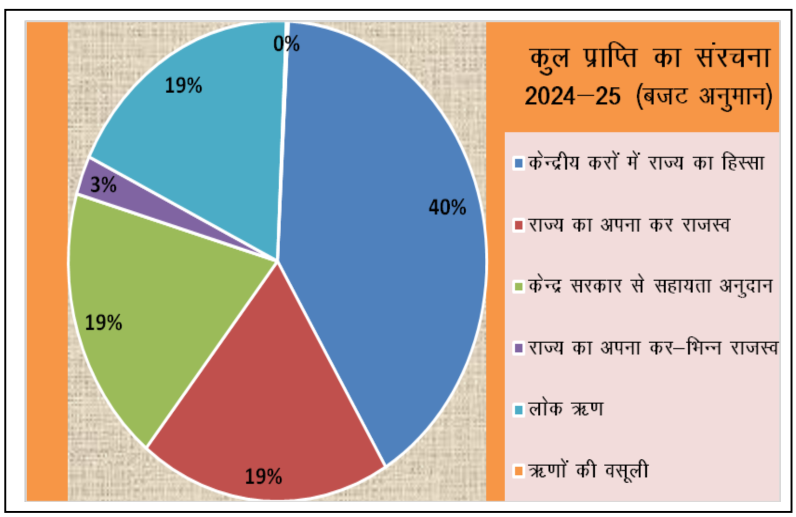

IV. राजकोषीय प्राथमिकताओं की प्रवृत्ति एवं विन्यास

राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनकल्याण के साथ उच्च आर्थिक विकास है। राज्य की लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण जनता के लिए हर क्षेत्र में बजट का आवंटन किया गया है। किसानों, मजदूरों तथा कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत अनेक बुनियादी पहल किए गए हैं, जिससे इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों के जीविकोपार्जन में आमूल–चूल परिवर्तन होगा। उच्च आर्थिक विकास को हासिल करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 2024–25 के कुल बजट का 63.46 प्रतिशत राशि विकासात्मक व्यय के मद में रखा है। वर्ष 2022–23 के वास्तविक विकासात्मक व्यय 1,60,475.30 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2024–25 में 1,76,866.42 करोड़ रुपये व्यय अनुमानित है। इस अवधि में विकासात्मक व्यय में कुल 16,391.12 करोड़ रुपये की वृद्धि कर्णांकित है। इसी प्रकार, वर्ष 2024–25 में कुल व्यय 278,725.72 करोड़ रुपये का 80.97 प्रतिशत (2,25,677.00 करोड़ रुपये) राजस्व व्यय के मद में तथा शेष 19.03 प्रतिशत (53,048.72 करोड़ रुपये) पूंजीगत व्यय के मद में खर्च होने का अनुमान है। वर्ष 2022–23 के वास्तविक पूंजीगत व्यय की तुलना में वर्ष 2024–25 में लगभग 5,121 करोड़ रुपये की वृद्धि अनुमानित है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप अधारभूत अवसंरचनात्मक विकास के साथ ही औद्योगिक विकास को बल मिलेगा।

राज्य सरकार ने समाज के हर तबके, खास कर गरीबों एवं वंचित वर्गों के लिए वर्ष 2024–25 के कुल बजट का 38.89 प्रतिशत (1,08,384 करोड़ रुपये) आर्थिक, सामाजिक न्याय के लिए कर्णांकित किया है। साथ ही अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए आर्थिक सेवाओं पर 63,217.19 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कुल बजट का 22.68 प्रतिशत है। इस प्रकार वर्ष 2024–25 के बजट में कुल बजट का 61.57 प्रतिशत हिस्सा राज्य के सामाजिक–आर्थिक उन्नति को समर्पित है।

कुल व्यय की प्रवृत्ति (राशि करोड़ रुपये में)

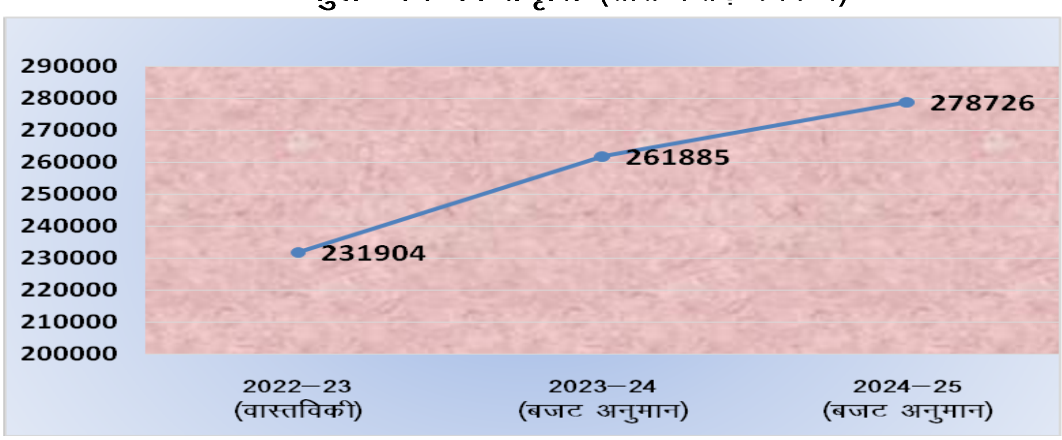

विकासात्मक एवं गैर–विकासत्मक व्यय (राशि करोड़ रुपये में)

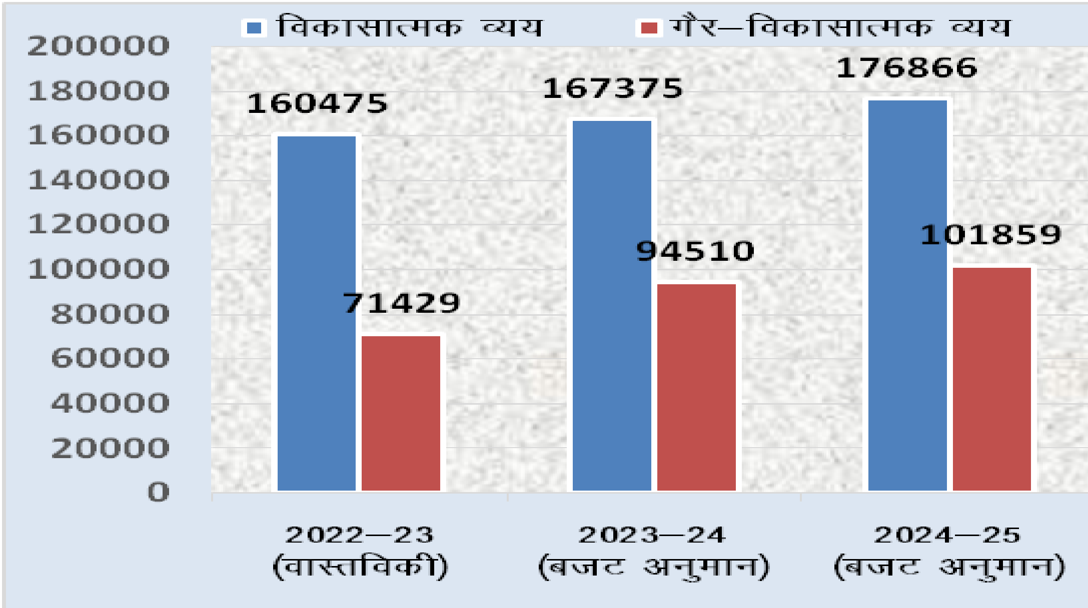

राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (राशि करोड़ रुपये में)

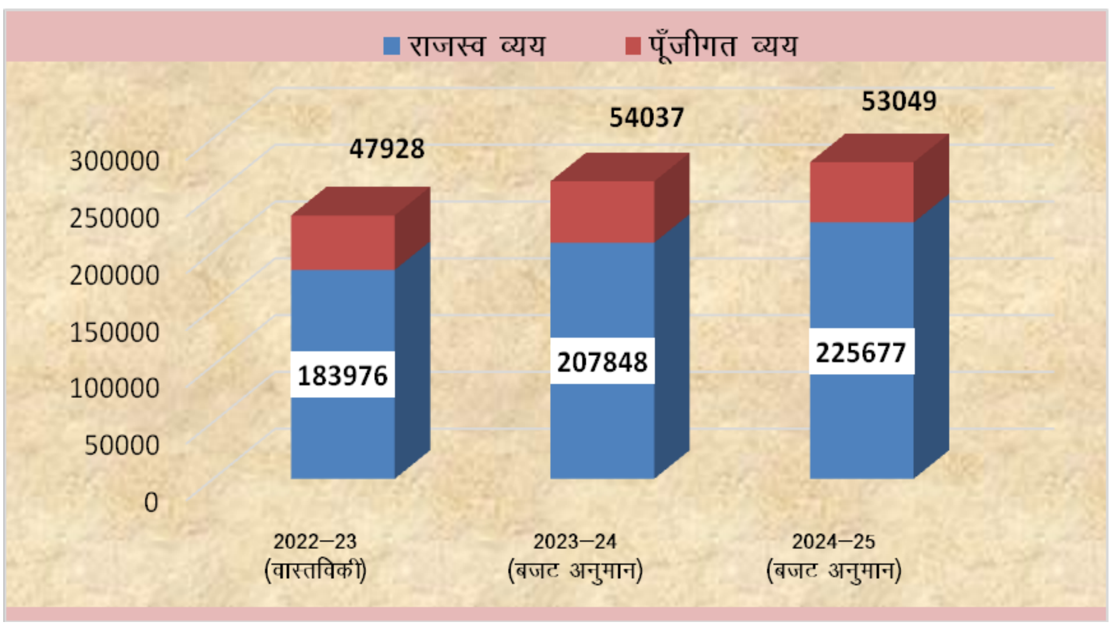

क्षेत्रवार व्यय संरचना

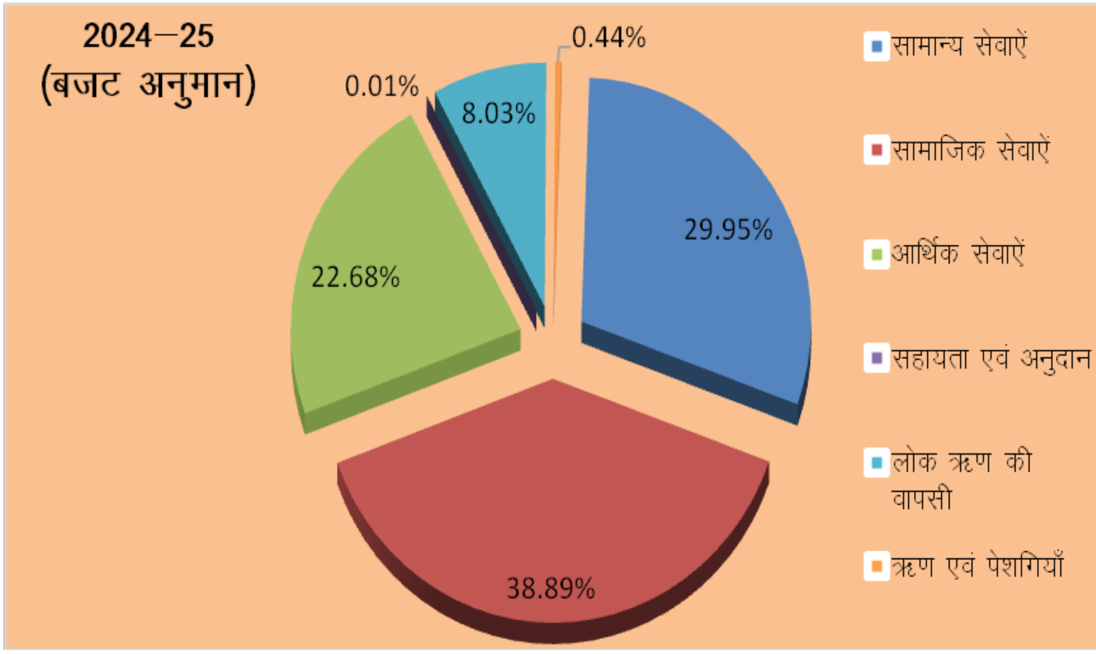

V. ऋण प्राप्ति की रूपरेखा

वर्ष 2024–25 के बजट में सार्वजनिक ऋण (राजकोषीय घाटा) को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत के अधिसीमा में रखा गया है । राजकोषीय संतुलन का एक अतिमहत्वपूर्ण कारक कुल बकाया ऋण का नियंत्रण में होना है । वर्ष 2024–25 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग ने बिहार के लिए कुल बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात का 39.9 प्रतिशत की सीमा में रखने की अनुशंसा दी है । इस अधिसीमा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कुल बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 35.67 प्रतिशत आकलित किया है । राज्य लगातार इस अनुपात को कम करके वित्तीय सुधार के पथ पर आगे बढ़ रहा है । जहाँ यह अनुपात वर्ष 2022–23 में 39.03 प्रतिशत था, जो वर्ष 2023–24 के बजट अनुमान में 37.15 प्रतिशत रखा गया, वही वर्ष 2024–25 के बजट में इसे 35.67 प्रतिशत अनुमानित किया गया है। वर्ष 2024–25 में कुल 51,688.14 करोड़ रुपये का लोक ऋण लेने का अनुमान है, जिसे पूंजीगत मद में निवेशित कर राज्य के सर्वांगीण विकास को तेज करने का लक्ष्य है । इससे समाज के हर वर्ग लाभान्वित होंगे तथा राज्य में खुशहाली आयेगी ।

कुल बकाया ऋण की प्रवृत्ति (राशि करोड़ रुपये में)

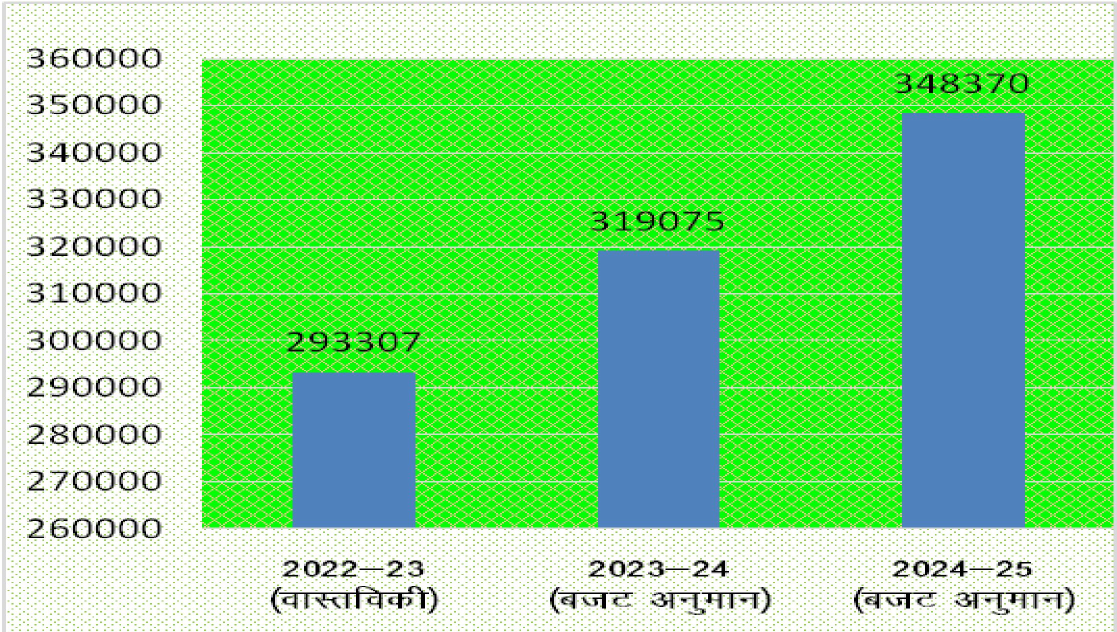

कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में

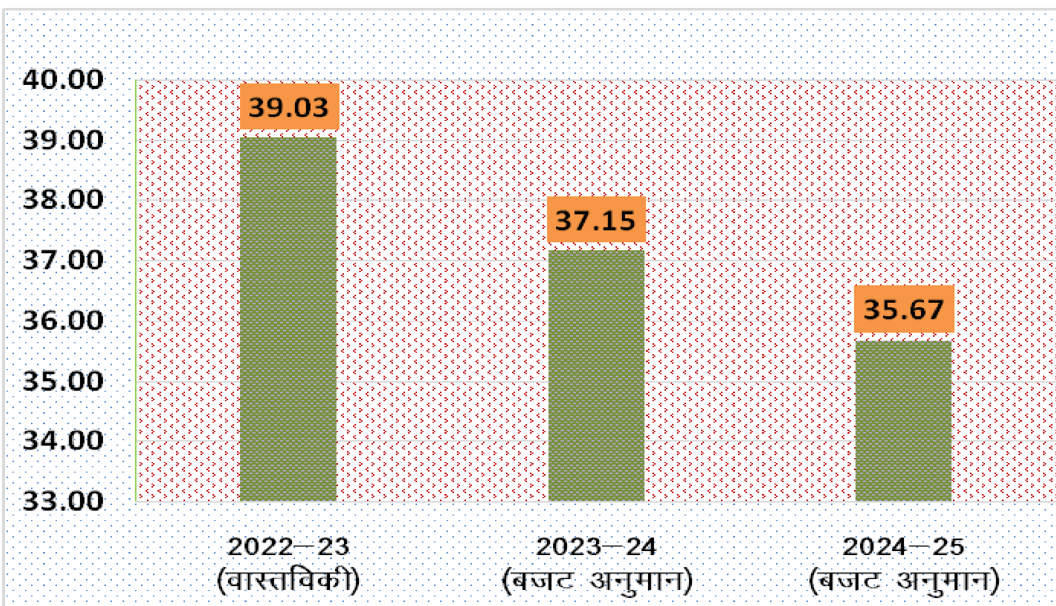

VI. बिहार बजट 2024–25 में राज्य सरकार द्वारा कई प्राथमिकताएँ निर्धारित की गयी हैं, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख है–

1. नियुक्ति एवं रोजगार
2. महिला सशक्तिकरण
3. विभिन्न वर्गों का कल्याण
4. स्वास्थ्य प्रक्षेत्र
5. शिक्षा प्रक्षेत्र
6. कृषि एवं ग्रामीण विकास
7. उद्योग एवं उद्यमी विकास
8. पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास

VII. वित्तीय वर्ष 2024–25 में महत्वपूर्ण स्कीमों में उपबंधित राशि की विवरणी

राशि करोड़ रुपये में

क्रम सं०	स्कीम का नाम	उपबंधित राशि
1	समग्र शिक्षा/सर्व शिक्षा अभियान	14596.46
2	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम(मनरेगा)	5092.00
3	प्रधानमंत्री आवास योजना	4320.00
4	एन०आर०एच०एम० सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	3619.55
5	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना	3374.00
6	सक्षम आंगनवाड़ी पोषण–2.0	2967.36
7	मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना	2955.41
8	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	2475.73
9	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	2240.33
10	सबके लिए आवास (शहरी)	2103.07
11	छात्रवृत्ति/वजीफा/प्रोत्साहन	2078.73
12	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी०एम०जी०एस०वाई०)	2071.54
13	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	1444.45
14	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना	1400.00
15	शहरी पुनर्नवीकरण मिशन	1382.00
16	सड़क (एशियन विकास बैंक सम्पोषित)	1379.00
17	मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना	1296.00
18	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	1203.78
19	सिंचाई सृजन परियोजनायें	1125.30
20	पुल	1100.00
21	त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्य (ए०आई०बी० पी०) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	1007.00
22	ग्राम विकास की परियोजना (नाबार्ड सम्पोषित)	991.00
23	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	897.38
24	एन०एफ०एस०ए० अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तर राज्य हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर मार्जिन	861.84
25	स्वच्छ भारत मिशन–2	706.98
26	प्राथमिक विद्यालय भवन	700.01
27	बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना	700.00
28	ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	674.42

राशि करोड़ रुपये में

क्रम सं०	स्कीम का नाम	उपबंधित राशि
29	स्मार्ट सिटी मिशन	640.00
30	हर खेत तक सिंचाई का पानी–सात निश्चय–2	640.00
31	पंचायत सरकार भवन	636.00
32	मुख्यमंत्री पेय जल निश्चय योजना	620.00
33	मुख्यमंत्री (इण्टर एवं स्नातक उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना–सात निश्चय–2	600.00
34	आँगनबाड़ी सेवायें	582.37
35	वृहत सड़कें	570.37
36	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	555.00
37	बिहार राज्य फसल सहायता योजना	541.00
38	राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण	500.01
39	स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम	500.00
40	प्री–प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना	497.53
41	इन्टेंसिफायड फील्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना	495.00
42	महादलित विकास हेतु	492.00
43	अन्य आवास	430.00
44	शिक्षा विभाग के भवनों का रख रखाव	426.00
45	जल–जीवन–हरियाली	413.29
46	केन्द्रीय सड़क निधि	400.00
47	बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें (कार्य)	398.00
48	बिहार कौशल विकास मिशन	367.06
49	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना	363.00
50	सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य का पुनरीक्षण	354.74
51	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना	343.00
52	अनुसूचित जाति के भवन	341.49
53	स्टेडियम एवं खेल संरचना ।	330.00
54	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	323.24
55	मशीनों का आद्युनिकीकरण– सात निश्चय–2 सहित	320.50
56	पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण	300.04
57	उद्यान विकास योजना	300.00
58	पिछड़े वर्गों के लिए आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार	300.00
59	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० की परियोजना	300.00

राशि करोड़ रुपये में

क्रम सं०	स्कीम का नाम	उपबंधित राशि
60	विशेष सहायता (बी०आर०जी० पथ)	295.27
61	अभियंत्रण महाविद्यालय	295.00
62	स्वच्छ गांव–निश्चय –2 कार्यक्रम	276.00
63	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	266.16
64	मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी येाजना	252.83
65	सतत् जीविकोपार्जन योजना	250.00
66	विश्वविद्यालय कोष	250.00
67	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना–सात निश्चय–2	250.00
68	मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना–सात निश्चय–2	250.00
69	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल–जीवन मिशन)	246.48
70	पूरक पोषाहार	243.51
71	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	232.25
72	स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण – सात निश्यच 2	231.00
73	मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना	230.00
74	सामर्थ्य	227.42
75	बिहार राज्य विकलांगता समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	223.00
76	प्री–मैट्रिक / पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति	217.05
77	भवन	215.37
78	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0	210.52
79	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	206.25
80	राजकीय उच्च विद्यालय के भवन	205.00
81	राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास	205.00
82	सुलभ संपर्कता –सात निश्चय–2	200.00
83	सीमा क्षेत्र में नदी प्रबंधन गतिविधि एवं कार्य	200.00
84	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	200.00
85	मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना	200.00
86	कृषि बाजार का विकास(नाबार्ड)	200.00
87	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनेां का जीर्णोद्धार	195.00
88	बीज गुणन फर्मों का विस्तार खेती पर व्यय	193.99
89	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	186.00
90	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण / पुनर्निर्माण / उन्नयन / भू–अर्जन	182.75

राशि करोड़ रुपये में

क्रम सं०	स्कीम का नाम	उपबंधित राशि
91	बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना	180.00
92	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी	174.00
93	इंजीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनें(विज्ञान एवं प्रावैधिकी)	174.00
94	पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	162.00
95	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन(पी.एम. –एबीएचआईएम)	154.80
96	एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम(आई०डब्ल्यू०एम०पी०)	153.65
97	इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस (आधारभूत संरचना एवं रखरखाव) (एनएचएम)	152.00
98	अधिप्राप्ति कार्य हेतु प्रबंधकीय अनुदान	150.00
99	पुलिस प्रशासन एवं ढांचागत सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु	150.00
100	पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन (सात निश्चय–2)	150.00
101	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि०	150.00
102	केन्द्रीय / मंडल / उप काराओं एवं अन्य भवनों के निर्माण हेतु	150.00
103	खेल–कूद	150.00
104	पर्यटकीय विकास	148.50
105	प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पी०एम०एफ०एम०ई०)	145.94
106	सांस्कृतिक संरचना	138.00
107	अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना	135.06
108	राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम	133.78
109	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	133.75
110	नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (महिला सहित)	132.28
111	प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकनाईजेशन	130.00
112	पॉलिटेक्निक (निश्चय)	130.00
113	डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साइंस सिटी	125.00
114	कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी	125.00
115	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बी०एस०आर०टी०सी०)	124.00
116	उत्तर कोयल जलाशय परियोना (नाबार्ड एल. टी. आई. एफ.)	120.68
117	मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	120.00
118	गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान	119.87
119	स्वास्थ्य केन्द्रों का जीर्णोद्धार सात निश्यच 2	119.00
120	परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	115.00

राशि करोड़ रुपये में

क्रम सं०	स्कीम का नाम	उपबंधित राशि
121	कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	115.00
122	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	114.00
123	हवाई अड्डे	113.75
124	मिशन वात्सल्य, बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण सेवायें	113.00
125	आयुष्मान भारत – राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन	110.00
126	बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना	109.00
127	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	108.92
128	एल०डब्लू०ई० जिलों के लिए	101.46
129	ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना	100.00
130	आंगनबाड़ी केन्द्र भवन (सिडबी)	100.00
131	अपरम्परागत उर्जा स्रोत	100.00
132	अग्निशामक उपकरणों का क्रय	100.00
133	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम	100.00
134	प्रारंभिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में चाहर दिवारी का निर्माण	100.00
135	प्रारंभिक विद्यालयों के चाहर दिवारी का निर्माण	100.00
136	प्राकृतिक वनों का विकास	100.00
137	प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी	100.00
138	पर्यटकीय अवसंरचना विकास (सिडबी)	100.00
139	बिहार लघु उद्यमी योजना (सिडबी)	100.00
140	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के हिस्सा पूँजी के रूप में	100.00
141	मत्स्य संपदा (सात निश्चय–2)	100.00
142	मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	100.00
143	मॉडल स्कूल	100.00
144	मोक्ष धाम का निर्माण	100.00
145	इको पर्यटन एवं पार्क का विकास	100.00
146	खाद्य भंडार गोदामों का निर्माण	100.00

रुपया कहाँ से आता है:

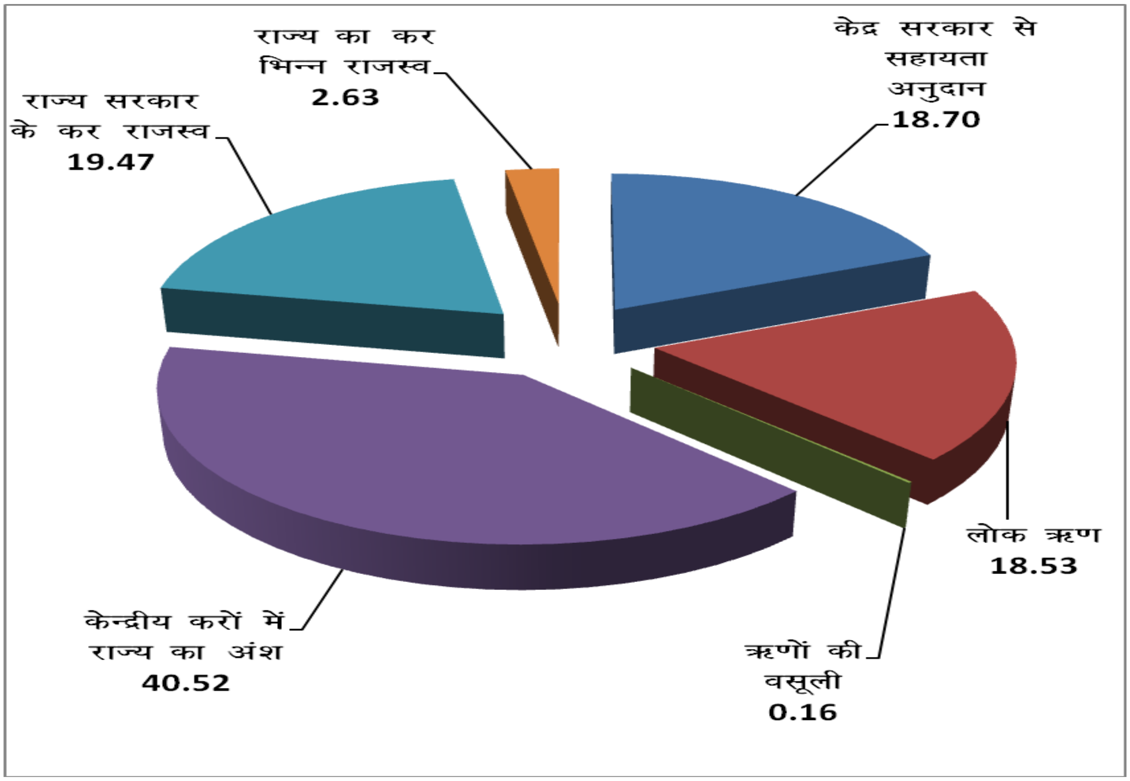

रुपया कहाँ जाता है:

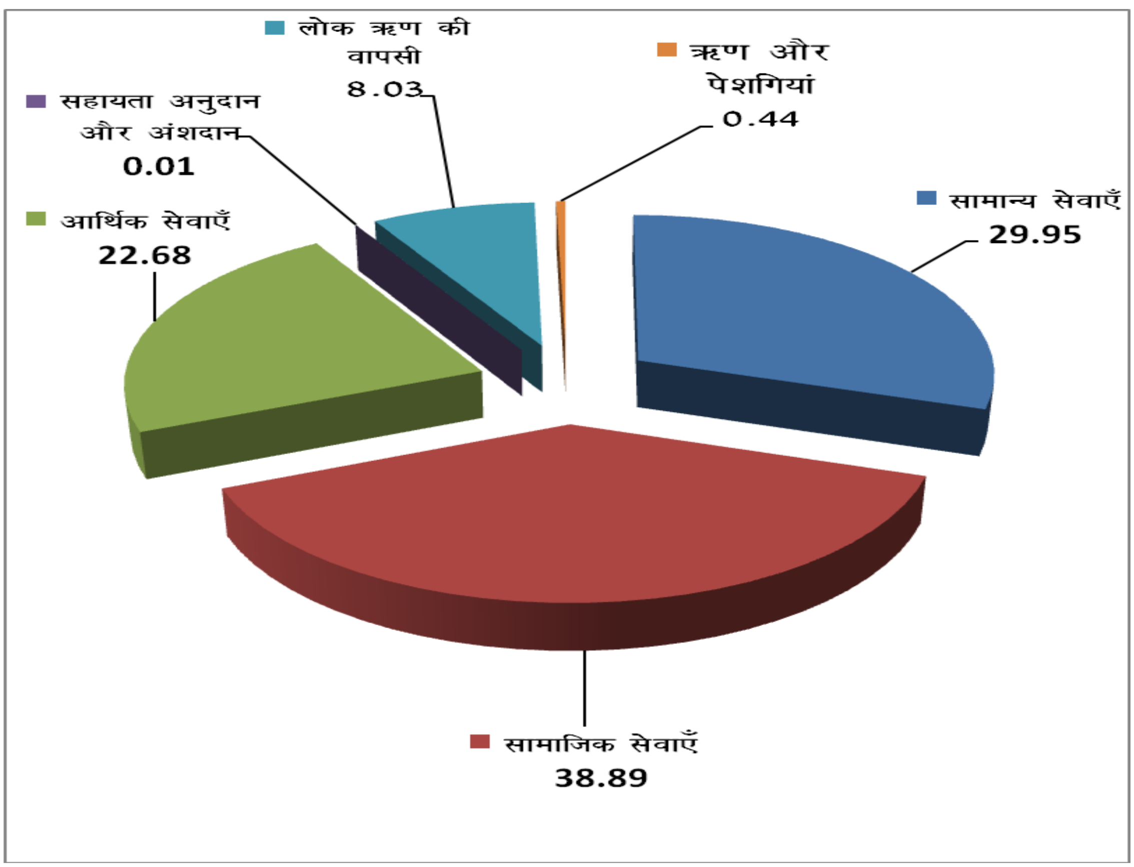

****

(c) Copyright 2024 Finance Department, Govt. of Bihar